सुनवाई की आगामी तिथि.....

वाद संख्या..... आदेशक न्यायालय .....

मौहर सहित आदेशक न्यायाधीश का नाम न्यायालय

.....

वाद संख्या .....

पक्षकारों का नाम .....

वादपत्र में पक्षकारों द्वारा दिये गये ज्ञापन पत्र एवं परवर्तित ज्ञापन पत्र/वाद पत्र के प्रथम पृष्ठ व प्रार्थना भाग की छाया प्रति संलग्न करें।)

.....बनाम.....

वाद संस्थापन की तिथि .....

वाद की प्रकृति .....

प्रेषित करते समय वाद की स्थिति.....

## मध्यस्थता निर्देशन आदेश

यह न्यायालय पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए यह मामला जिसका लाभ व्यवहार प्रक्रिया संहिता (CPC) नियम 89 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा पक्षकारों को मिल सके निर्धारित, निम्न व्यक्तियों को आदेश दिया जाता है कि वे बिना किसी वाद व्यय के मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित होंगे।

उपरोक्त पक्षकार तथा अधिवक्ता दिनांक..... को पूर्वान्ह/अपरान्ह में मध्यस्थता केन्द्र पर उपस्थित होंगे। यदि उपरोक्त तिथि को इस वाद की मध्यस्थता सम्भव न हो सके तो मध्यस्थता केन्द्र आगामी तिथि पक्षकारों की सुविधानुसार तय करेगा।

मध्यस्थता विशेषतः प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा की जायेगी।

यदि पक्षकार समझौते से सहमत होते हैं तो समझौते की शर्तें/नियम मध्यस्थ द्वारा लिपिबद्ध किये जायेंगे तथा पक्षकारों/अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करने के बाद अगले उचित आदेश हेतु न्यायालय को वापिस कर दिये जायें।

यदि कोई समझौता नहीं होता है तो पक्षकार और उनके अधिवक्ता तथा मध्यस्थ, मध्यस्थता के समय हुए किसी भी प्रकार के विचार विमर्श का खुलासा नहीं करेंगे।

(न्यायाधीश का नाम)

हस्ताक्षर :

दिनांक .....

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| वादी/शिकायतकर्त्ता के हस्ताक्षर | प्रतिवादी के हस्ताक्षर |
| पक्षकार का दूरभाष नं. | पक्षकार का दूरभाष नं. |
| अधिवक्ता का नाम..... | अधिवक्ता का नाम..... |
| अधिवक्ता का दूरभाष नं. | अधिवक्ता का दूरभाष नं. |